न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. 261/2024

निर्णय दिनांक :

उनवान

प्रताप वगै0 बनाम बनवारी लाल वगै0

1. प्रताप पुत्र स्व. छाजूराम
2. शीशराम पुत्र स्व. छाजूराम
3. दिनेश पुत्र स्व छाजुराम

समस्त जाति माली. निवासीगण पकोडी की ढाणी, तहसील व जिला झुन्झनूं।

वादीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र जोधा, उम्र वयस्क,
2. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्योराम, उम्र वयस्क
3. बजरंगलाल पुत्र स्व श्योराम उम्र वयस्क,
4. राधेश्याम पुत्र स्व हनुमान उम्र वयस्क,
5. शेरसिंह पुत्र स्व. हनुमान उम्र वयस्क,
6. विनोद कुमार पुत्र स्व हनुमान् उम्र वयस्क,
7. ममता देवी पत्नी ओमप्रकाश, उम्र वयस्क,
8. मिश्री देवी पत्नी नारायणसिंह, उम्र वयस्क,
   समस्त जाति माली. निवासीगण पकोड़ी की ढाणी, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बगड़, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा बी. सी. झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा लालपुर, तहसील व जिला झुन्झुनू, (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
12. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा बुडाना, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज)

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

वाद वादीगण निम्नलिखित प्रकार से पेश किया गया है:

राजस्व ग्राम पकोड़ी की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में एक जमीन स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नं. 10 रकबा 2.3900 हैक्टेयर, खसरा नं 11 रकबा 1.95 हैक्टेयर खसरा नं 12 रकबा 0.100 हेक्टेयर खसरा नं 13 रकबा 1.500 हैक्टेयर खसरा नं 14 रकबा 0. 2500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 19 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 6.2900 हैक्टेयर है।

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पकोड़ी की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में एक अन्य जमीन स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नं 10/475 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं 297 रकबा 0.3800 हैक्टेयर खसरा नं. 298 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नं. 299 रकबा 0.3400 हैक्टेयर खसरा नं 300 रकमा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकमा 0.23000 हैक्टेयर खसरा में 311 रकबा 0.2200 हैक्टेयर एवं खसरा न 312 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.3800 हैक्टेयर है। उपरोक्त दोनों भूमियों को वाद पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

पकोड़ी की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू में जोधाराम नामक एक व्यक्ति हुआ जिसका वशवृक्ष निम्न प्रकार है। वर्णित विवादित भूमियां जोधाराम पुत्र बीजाराम निवासी पकोड़ी की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी। उक्त जोधाराम की एक विवाहित पुत्री भी थी। उक्त जोधाराम की पुत्री का देहान्त अपने पुत्र छाजुराम के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। अपनी पुत्री के निधन के पश्चात अपने दोहित छाजुराम को उक्त जोधाराम अपने साथ पकौडी की ढाणी ले आया। जोधराम व उसकी पत्नी ने गोद की रस्म का आयेजन कर समस्त परिवार के समक्ष अपने दोहित छाजुराम को गोद ले लिया तथा उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उक्त ओधाराम ने अपने दतक पुत्र छाजुराम का पालन पोषण अपने तीनो पुत्री के समान ही किया तथा छाजुराम का विवाह भी अपने पुत्रो के समान ही किया था। वर्णित भूमि जोधाराम के चारो पुत्रो श्योराम, हनुमान, बनवारी एव दतक पुत्र छाजुराम के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि थी जिसमें चारों का बराबर हिस्सा था। चारों इसको संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते थे।

जोधाराम ने अपने जीवनकाल में ही वर्णित भूमियों को अपने चारों पुत्रो में बराबर–बराबर बॉट दिया था। इस वर्णित जमीन में प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 1/4 भूमि आई। जोधाराम की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादीगण के पिता छाजुराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ तथा जोधाराम के केवल तीन पुत्रो बनवारी, श्योराम एवं हनुमान का नाम ही दर्ज हुआ। इस प्रकार गलत राजस्व रिकार्ड की लगातार पुर्नरावृति होती रही तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता छाजुराम का नाम दर्ज नहीं हुआ। जोधाराम के पुत्र श्योराम का देहान्त होने पर श्योराम का 1/4 हिस्सा उत्तराधिकार में उसके दोनों पुत्रो प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 को मिला. तथा प्रत्येक का विवादित भूमि में 1/8 हिस्सा था। इसी प्रकार जोधाराम के पुत्र हनुमान का देहान्त होने पर उसका 1/4 हिस्सा उसके तीनो पुत्रो प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 को मिला, तथा प्रत्येक का विवादित भूमि में 1/12 हिस्सा था। इसी प्रकार जोधाराम के पुत्र छाजुराम का देहान्त होने पर उसका 1/4 हिस्सा उसके तीनो पुत्रो यादीगण संख्या 1 लगायत 3 को मिला, तथा प्रत्येक का विवादित भूमि में 1/12 हिस्सा था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल उक्त जोधाराम के तीन पुत्रो प्रतिवादी स बनवारी, श्योराम एवं हनुमान का ही नाम दर्ज हुआ, जबकि मौके पर जोधाराम के चारो पुत्र अपने–अपने 1/4 हिस्से के अनुसार अपनी अपनी जमीन पर काबिज काश्त है। गलत राजस्व रिकॉर्ड की लगातार पुनरावृत्ति होती रही तथा विवादित भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में भी खातेदार के रूप में केवल प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का नाम ही दर्ज है तथा भूलवश वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ। अतः वादीगण रिकॉर्ड दुरुस्त करवाये जाने के अधिकारी है। दिनांक 20.06.2024 को जब वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो उसे पता चला कि विवादित जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका व उनके पिता छाजुराम नाम दर्ज नहीं है तथा पैरा नं 01 में वर्णित भूमियों में केवल जोधाराम के तीन पुत्रो का ही नाम दर्ज हुआ है। वादीगण के पिता छाजुराम को जोधाराम का पुत्र होने के नाते विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा मिला था तथा छाजुराम की मृत्यु के बाद उसके पुत्रो वादीगण को मिला है तथा छाजुराम से उत्तराधिकार में मिले हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है अतः वादीगण रिकॉर्ड दुरूस्त करवाये जाने एवं अपने खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाये जाने का अधिकारी है। वर्णित विवादित भूमियों में से प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 ने अपने 1/4 हिस्से में से 3 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 7 ममता को तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने 1/4 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 8 को विक्रय कर दी। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं 7 लगायत 8 का नाम भी दर्ज है क्योंकि इनके द्वारा विवादित भूमि में से कुछ भूमि क्रय की गई है इसलिये वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी से 7 लगायत 8 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 बैंक है जिनके यहाँ से के.सी.सी लेने तथा प्रतिवादी संख्या 13 लैण्ड होल्डर होने के कारण वाद पत्र में इनको स्वकार बताया गया है।

वादीगण व प्रतिवादी 1 लगायत 6 अपने–अपने हिस्से अनुसार विवादित भूमि को आपसी सहमति से काश्त करते आ रहे है तथा इन्होने इसका आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है परन्तु विवादित भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। दिनाक 01.07.2024 को जब वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 को तहसील में चलकर पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि में 1/4 हित्से का नामान्तकरण उनके हक में तथा इसी अनुसार विवादित भूमिः का खाता विभाजन करवाने व वादीगण का हिस्सा अलग करने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 ने इंकार कर दिया। इस कारण वादीगण को यह वाद वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जबाव देही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की ओर से एड़वोकेट सुमित कुमार ने वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश किया गया। साक्ष्य हेतु वादीगण ने शपथ पत्र के रूप में पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का बाबत खाता संख्या 57 की भूमि जुड़वाने का पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2024 को स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा संसोधित वाद पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता बलवन्त सैनी तथा प्रतिवादी गण की ओर से अधिवक्ता सुमित कुमार उपस्थित। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्तागण ने जाहिर किया कि मौके पर कोई विवाद नहीं है अतः मुताबिक वाद पत्र दावा डिक्री कर दिया जाये। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम पकोड़ी की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि जिसके वर्तमान खसरा नं. 10 रकबा 2.3900 हैक्टेयर, खसरा नं 11 रकबा 1.95 हैक्टेयर खसरा नं 12 रकबा 0.100 हेक्टेयर खसरा नं 13 रकबा 1.500 हैक्टेयर खसरा नं 14 रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 19 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 6.2900 हैक्टेयर तथा इसी ग्राम पकोड़ी की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि जिसके वर्तमान खसरा नं 10/475 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं 297 रकबा 0.3800 हैक्टेयर खसरा नं. 298 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नं. 299 रकबा 0.3400 हैक्टेयर खसरा नं 300 रकमा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा में 311 रकबा 0.2200 हैक्टेयर एवं खसरा न 312 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.3800 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादीगण 2 लगायत 3 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादीगण 7 लगायत 8 को उनके दर्ज रिकॉर्ड हिस्से का तथा शेष बची भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

20/12/24

(हवाई सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner